

दिनांक-18.07.2017 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय :-

1. स्टील के दर को अद्यतन करने के संबंध में- स्टील निर्माता के विभिन्न कंपनियों से प्राप्त निर्माण सामग्रियों यथा G.C.Sheet, wire rod in coil, Steel channel, Steel angles एवं TMT Bars आदि के बड़े हुए/घटे हुए दर को न्यूनतम दर के आधार पर संलग्न सूची (Schedule M5, M6, M8, M9 एवं M10A) के अनुसार दर को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया।
2. सिमेंट के दर को अद्यतन करने के संबंध में- सिमेंट निर्माता के विभिन्न कंपनियों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के सिमेंट यथा OPC-43Grade, OPC-33 Grade, Portland Pozzolana Cement(PPC), Portland Slag Cement (P.S.C.) आदि के बड़े हुए/घटे हुए दर को न्यूनतम दर के आधार पर संलग्न सूची (Schedule "M1", "M2", "M3A" एवं "M3B") के अनुसार दर को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया।
3. बिटुमेन एवं इमल्शन के दर को अद्यतन करने के संबंध में -राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों यथा IOCL, BPCL & HPCL से बिटुमेन एवं इमल्शन के बड़े हुए/घटे हुए दर को न्यूनतम दर के आधार पर संलग्न सूची (Schedule-M4) के अनुसार अद्यतन करने का निर्णय लिया गया।
4. श्रम दर को अद्यतन करने के संबंध में -श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0-1194 दिनांक-28.03.2017 के आलोक में पथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त 72 प्रकार के विभिन्न कर्मियों तथा बंध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के लिए प्रयुक्त 74 प्रकार के कर्मियों के न्यूनतम दैनिक श्रम दर का अनुमोदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुसूची-1 एवं 2 के अनुसार करने का निर्णय लिया गया। यह दर भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं अन्य कार्य विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के उपयोग में लाया जा सकता है।
5. नये स्टील निर्माता कम्पनियों से SOR की सूची में सम्मिलित करने के लिए प्राप्त आवेदन पर निर्णय-नये स्टील निर्माता कम्पनियों यथा AMIT METALIKS LTD, DADJI STEELS PVT. LTD, SRMB SRIJAN Ltd., एवं RASHMI METALIKS Ltd. से अनुसूचित दर की सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर सदस्यों के द्वारा अनुसूचित दर की सूची में शामिल करने हेतु Ministry of Steel, Government of India के द्वारा निर्गत Notification No- 8(1)2015-TD(Vol-IV) दिनांक-12.05.2016 एवं आदेश सं0-4(13)2016-SD(1)दिनांक-09.08.2016 पर विस्तार से विचार-निर्णय किया गया। Ministry of Steel, Government of India के द्वारा निर्गत Notification No- 8(1)2015-TD dated-12.05.2016 के Clause No. 6 में Steel Producers के Classification हेतु Guidelines इस प्रकार वर्णित हैं :-
 "No Steel producers will be classified/certified as 'Integrated Steel Producers', 'Primary Steel Producers', 'Secondary Steel Producers' 'Main Producers', 'Major Producers' or 'Others' by Ministry of Steel or Joint Plant Committee (JPC). The classification/certification issued by Ministry of Steel and/or JPC Kolkata prior to this notification on classification of steel producers/plants, stands withdrawn and becomes null and void with immediate effect" पुनः Ministry of Steel, Government of India, के द्वारा निर्गत Order No. 4(13)/2016-SD(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है :-
 "With the abolition of classification in Steel Producers in India vide notification No. 8(1)2015-TD (Vol.IV) dated 12th May, 2016 no steel producer is to be classified/certified as 'Integrated Steel Producers', 'Primary Steel Producers', 'Secondary Steel Producers', 'Main Producers', 'Major Producers, or 'Others' by Ministry of Steel.
 परन्तु MOR&TH (Specification for Road and Bridge Works) के 5th Revision के Clause-1009.3.1 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "All Steel shall be procured from 'Original

Producers' who manufacture billets directly from iron ores and roll the billets to produce steel conforming to IS:1786. No re-rolled steel shall be incorporated in the works.


उक्त के आलोक में सदस्यों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

6. निर्माण सामग्रियों में 4% से अधिक VAT/Saletax को सामग्रियों के दर में जोड़कर कार्य मदों के विश्लेषण से संबंधित निर्णय- 01 जुलाई 2017 से GST (goods & Services tax) प्रस्तावित होने के कारण इस संबंध में निर्णय नहीं किया जा सका।
7. **3M INDIA LTD** कम्पनी द्वारा **Road Safety** से संबंधित **Traffic Signs & Markings Product** को SOR में शामिल करने पर निर्णय - इस संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी कम्पनी को SOR की सूची में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।


8. अन्यान्य

अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग द्वारा किसी प्रोजेक्ट में कोई Non frequent Non Schedule Item के दर को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दर अनुमोदन करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर संबंधित अधीक्षण अभियंता किसी Particular Project के किसी Non Schedule Item का नियमानुसार दर अनुमोदन करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि frequent non Schedule item को SOR में स्थायी रूप से शामिल करने की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को प्रस्ताव विभागीय अभियंता प्रमुख के माध्यम से उपस्थापित किया जाय। विभागीय अभियंता प्रमुख द्वारा यह परामर्श दिया जाएगा कि उक्त Item को स्थायी रूप से Schedule Item में शामिल किया जाय अथवा नहीं।

वेदक का समापन संगोजक महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।


सदस्य


राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य


राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य


राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (अपैरिडिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि०, बिहार, पटना।


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता, (विद्युत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।


संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Schedule : M1
List of Rates of Ordinary Portland Cement approved by State Level Schedule Rate Committee for the year 2017 - 18 (for Preparation of Schedule of Rates only) - Materials should conform to relevant BIS/RC/MORT&H Specifications. Rates are exclusive of GST.

Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Zones	Approved Rate	
				in ₹	ords
1	Ordinary Portland Cement (O.P.C. - 43 Grade)	Per bag of 50 kg	Parma	242.20	Rupees Two Hundred Forty Two and Paise Twenty Only
			Muzaffarpur	242.20	Rupees Two Hundred Forty Two and Paise Twenty Only
			Darbhanga	242.20	Rupees Two Hundred Forty Two and Paise Twenty Only
			Bhagalpur	238.50	Rupees Two Hundred Thirty Eight and Paise Fifty Only
			Munger	238.50	Rupees Two Hundred Thirty Eight and Paise Fifty Only
			Saran	242.20	Rupees Two Hundred Forty Two and Paise Twenty Only
			Patna	242.20	Rupees Two Hundred Forty Two and Paise Twenty Only
			Gaya	229.10	Rupees Two Hundred Twenty Nine and Paise Thirty Only
			Siwan	228.10	Rupees Two Hundred Twenty Eight and Paise Ten Only

Note:- The above rate of cement is exclusive of 29% GST.

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण मंत्रालय की ओर से
 सहायक सचिव, प्रमाणन प्रभाग
 उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमाणन प्रभाग, लखनऊ

11X

Schedule : M2
 List of Rates of Ordinary Portland Cement approved by State Level Schedule Rate Committee for the year 2017- 18 (for Preparation of Schedule of Rates only) - Materials should conform to relevant BIS/RC/MORT&H Specifications.
 Rates are exclusive of GST.
 Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Zones	Approved Rate	
				in Rupee	in words
1	Ordinary Portland Cement (O.P.C. - 33 Grade)	Per bag of 50 kg	Panna	217.80	Rupees Two Hundred Seventeen and Paise Eighty Only
			Kazalpur	217.80	Rupees Two Hundred Seventeen and Paise Eighty Only
			Darbhanga	224.90	Rupees Two Hundred Twenty Four and Paise Ninety Only
			Bhagalpur	224.90	Rupees Two Hundred Twenty Four and Paise Ninety Only
			Munger	224.90	Rupees Two Hundred Twenty Four and Paise Ninety Only
			Saharsa	232.30	Rupees Two Hundred Thirty Two and Paise Thirty Only
			Purnea	203.30	Rupees Two Hundred Three and Paise Thirty Only
			Gaya	217.80	Rupees Two Hundred Seventeen and Paise Eighty Only

Note:- The above rate of cement is exclusive of 28% GST.

सदस्य,
 राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

सदस्य,
 राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

सदस्य,
 राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

राजस्थान संरचना एवं निर्माण समिति-राजस्थान राज्य
 नवीन संविधान समिति,
 नया दिल्ली, भारत, उत्तरा।

XX

Schedule - M3B

Date: 18.07.17

List of Rates of Portland Slag Cement received from different Companies for the approval of State Level Schedule Rate Committee for the year 2017 - 18 (for Preparation of Schedule of Rates only) - Materials should conform to relevant BIS/RC/MORT & H Specifications. Rates are exclusive of GST.

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Zones	Approved Rate	
				In Figure (₹)	In words
1	Portland Slag Cement (P.S.C.)	Per bag of 50 Kg	1	273.40	Rupees Two Hundred Seventy Three and Paise Forty Only
2			2	271.90	Rupees Two Hundred Seventy One and Paise Ninety Only
			3	266.40	Rupees Two Hundred Sixty Six and Paise Forty Only
			4	272.70	Rupees Two Hundred Seventy Two and Paise Seventy Only
			5	262.60	Rupees Two Hundred Sixty Two and Paise Sixty Only
			6	271.10	Rupees Two Hundred Seventy One and Paise Ten Only
			7	266.40	Rupees Two Hundred Sixty Six and Paise Forty Only
			8	261.70	Rupees Two Hundred Sixty One and Paise Seventy Only
			9	269.20	Rupees Two Hundred Sixty Nine and Paise Twenty Only

Note:- The above rate of cement is exclusive of 28% GST.

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

संस्था
प्रकारकृत्य अङ्गणत एर फल्लत
शुधल-तल-सुधतत त्तत
ततत फल्लत फल्लत, फल्लत, त्ततत।

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			In figure (₹)	In words
8	Balumen Emulsion MS/packed Dum	Per MT	3281.00	Rupess Three Five Thousand Two Hundred Eighty One and Paise Zero Only
(a) Ex. Panna		Per MT	3543.00	Rupess Three Five Thousand Four Hundred Thirty One and Paise Zero Only
(b) Ex. Gawa		Per MT	3481.00	Rupess Three Four Thousand Nine Hundred Eighty One and Paise Zero Only
9	Balumen Emulsion SS 1 (Packed) Dum	Per MT	3395.00	Rupess Three Five Thousand Eight Hundred Ninety Five and Paise Zero Only
(a) Ex. Panna		Per MT	3695.00	Rupess Three Six Thousand Ninety Five and Paise Zero Only
(b) Ex. Gawa		Per MT	3445.00	Rupess Three Five Thousand Six Hundred Forty Five and Paise Zero Only

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

सकल
 प्रमाणित सङ्ग्रहण कर्मचारीको तर्फबाट
 मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं

[Signature]

Approved rate of Steel - Wire Rod in coil by State Level Schedule Rate Committee for the year 2017 - 18 (for Preparation of Schedule of Rates only) - Materials should conform to relevant BIS/ISCI/MORTH Specifications. Rates are exclusive of GST@ 18%.

Schedule : 168

Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			In figures ₹	In words ₹
1	Wire Rod in coil			
1	5.5 mm	Per MT	34990.00	Three Thousand Four Hundred Nine Hundred and Nine Only
2	6.0 mm	Per MT	34860.00	Three Thousand Four Hundred Eighty Six Only
3	6.5 mm	Per MT	34720.00	Three Thousand Four Hundred Twenty Two Only
4	7.0 mm	Per MT	34590.00	Three Thousand Four Hundred Fifty Nine Only
5	8.0 mm	Per MT	34460.00	Three Thousand Four Hundred Sixty Six Only
6	10.0 mm	Per MT	34990.00	Three Thousand Four Hundred Ninety Nine Only
7	12.0/12.7 mm	Per MT	34990.00	Three Thousand Four Hundred Ninety Nine Only

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Handwritten signature and date: 18/07/17

Schedule : M8
 Approved rate of Steel Channel by State Level Schedule Rate Committee for the year 2017 - 18 for Preparation of Schedule of Rates only -
 Materials should conform to relevant BIS/IS/MORT&H Specifications.
 Rates are exclusive of GST @ 18%.

Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			in figure (₹)	in words
1	STEEL CHANNEL			
1	Channel 100 x 50	Per MT	34470.00	Rupees Thirty Four Thousand Four Hundred Seventy and Paise Zero Only
2	Channel 125 x 65	Per MT	34470.00	Rupees Thirty Four Thousand Four Hundred Seventy and Paise Zero Only
3	Channel 150 x 75	Per MT	34470.00	Rupees Thirty Four Thousand Four Hundred Seventy and Paise Zero Only

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

विकास
 प्रमुख
 आ.स.प.स.
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय
 आ.स.प.स. कार्यालय

Schedule - 109
 Approved rate of Steel Angles by State Level Schedule Rate Committee for the year 2017 - 18 (for Preparation of Schedule of Rates only) -
 Materials should conform to relevant BIS/IS/ASTM Specifications.
 Rates are exclusive of GST@18%.
 Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			In figure (₹)	In words
1	STEEL ANGLES			
1	75 x 72.50	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
2	80 x 80 x 8.10/12	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
3	90 x 90 x 6.8	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
4	100 x 100 x 8.10/12	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
5	110 x 110 x 8.10/12	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
6	130 x 130 x 0.12	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
7	130 x 130 x 2.16/20	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only
8	200 x 200 x 6.18/20	Per MT	34650.00	Rs. Thirty Four Thousand Six Hundred Fifty and Paise Zero Only

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

आचार्य
 राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए
 निर्माण कार्य के लिए

11111

Approved rate of Steel - TMT BARS (Fe 500) State Level Schedule Rate Committee for the year 2017-18 (for Preparation of Schedule of Rates only) - Materials should conform to relevant BIS/IS/ASTM Specifications.
Rates are exclusive of GST@ 18%.

Schedule : M-10A

Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			In figure ₹	In words
1	STEEL TMT BARS			
1	TMT Fe 500 - 8 mm	Per MT	35080.00	Rupees Thirty Five Thousand Thirty and Paise Zero Only
2	TMT Fe 500 - 10 mm	Per MT	34140.00	Rupees Thirty Four Thousand One Hundred Forty and Paise Zero Only
3	TMT Fe 500 - 12 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
4	TMT Fe 500 - 16 mm	Per MT	33960.00	Rupees Thirty Three Thousand Nine Hundred Sixty and Paise Zero Only
5	TMT Fe 500 - 20 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
6	TMT Fe 500 - 25 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
7	TMT Fe 500 - 28 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
8	TMT Fe 500 - 32 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

व्यवस्थापक सचिव
राज्य स्तर पर
आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
राज्य स्तर पर

18-7-17

18-7-17

18-7-17

18-7-17

18-7-17

18-7-17

11111111

Approved rate of Steel - TMT BARS Fe 500 State Level Schedule Rate Committee for the year 2017-18 (for Preparation of Schedule of Rates only). Materials should conform to relevant BIS/ISRC/MORT&H Specifications.
 Rates are exclusive of GST@ 18%.

Schedule : M10A

Date: 18.07.17

Sl. No.	Name & Description of Material	Unit	Approved Rate	
			In figure (₹)	In words
1	STEEL TMT BARS			
2	TMT Fe 500 - 8 mm	Per MT	33920.00	Rupees Thirty Five Thousand Thirty and Paise Zero Only
3	TMT Fe 500 - 10 mm	Per MT	34140.00	Rupees Thirty Four Thousand One Hundred Forty and Paise Zero Only
4	TMT Fe 500 - 12 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
5	TMT Fe 500 - 20 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
6	TMT Fe 500 - 25 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
7	TMT Fe 500 - 28 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only
8	TMT Fe 500 - 32 mm	Per MT	33690.00	Rupees Thirty Three Thousand Six Hundred Ninety and Paise Zero Only

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

उत्तर
 प्रस्तावित दरों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र
 प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 17/10/17

संख्या-सी0सी0-01/14-(खण्ड)-4042/एम0 विभागीय अधिसूचना संख्या-3031/एम0
दिनांक 11.10.2017 द्वारा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत मालिकाना फीस
(Seigniorage Fee) की कटौती के संबंध में दिशा-निदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त अधिसूचना के
क्रम में निम्नवत् दिशा-निदेश निर्गत किये जा रहे हैं:-

- (1) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की दर परियोजना के कुल प्राक्कलन (Agreemented Cost) की दो प्रतिशत होगी। सभी कार्य विभाग अपने स्कीमों एवं परियोजनाओं के लिए प्राक्कलन राशि के दो प्रतिशत की कटौती कर खान एवं भूतत्व विभाग के खनन शीर्ष-0853 में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee), उन नई योजनाओं, जिनकी स्वीकृति दिनांक 01.11.2017 के पश्चात दी जायगी, पर लागू होगी। दिनांक 01.11.2017 के प्रभाव से जो भी योजनाएँ स्वीकृत हों, उनमें संशोधन के साथ किए जाने वाले एकरारनामा में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का स्पष्ट उल्लेख रहे।
- (3) जहाँ तक वर्तमान में चल रही योजनाओं का प्रश्न है तो यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.11.2017 के प्रभाव से इन योजनाओं में पारित किये जाने वाले Running Bill पर भी दो प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) कटौती के उपरांत ही भुगतान किया जाय।
- (4) यदि कोई पूर्व लंबित 'एम' एवं 'एन' का मामला हो एवं जिसपर अबतक कोई Royalty की वापसी नहीं की गयी है, तो दिनांक 11.10.2017 के उपरांत किसी प्रकार की Royalty की वापसी अब नहीं की जायगी।
- (5) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) प्रणाली दिनांक 01.11.2017 के प्रभाव से लागू होगी। पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3031/एम0 दिनांक 11.10.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। अधिसूचना की शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरुण प्रकाश)

सरकार के विशेष सचिव

संख्या-सी0सी0-01/14-(खण्ड)-4042/एम0, पटना, दिनांक-17/10/17
प्रतिनिधि- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/लघु सिंचाई विभाग/शहरी विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना/महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03, प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी, बोरिंग रोड़, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम, निर्माण निगम, दौ0एम0पी0-5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना-14/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन